कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

पत्रांक–4647/2026/लाईसेंस/न०पा०प०फ० (2025–26). दिनांक 12-2-26

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के सीमान्तर्गत मोहल्ला कटरा अब्दुलगनी पक्की सरायं फतेहपुर मे मोटर साईकिल/चार पहिया वाहनों की पार्किंग स्टैण्ड तथा पत्थरकटा चौराहा फतेहपुर स्थित टैम्पों/ई रिक्शा पार्किंग स्टैण्ड की वसूली हेतु ठेके पर उठाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त ठेका अवधि स्वीकृत दिवस से 31 मार्च, 2028 तक प्रभावी होगा। इच्छुक व्यक्ति 10000.00 की नकद/ड्राफ्ट जमानत धनराशि जमा कर दिनांक 25-02-26 को अपरान्ह 12:00 बजे पालिका कार्यालय मे उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलमी बोली मे भाग लेने से पूर्व इच्छुक व्यक्ति को जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। उच्चतम बोली संतोषजनक होने पर उसे बोली टूटने के तत्काल बाद बोली की 1/2 धनराशि नकद नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के कोष में जमा करनी होगी। नीलमी की अन्य नियम व शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी मे निहित होगा।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं समाचार पत्र मे प्रकाशन हेतु प्रेषित–

01. दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, प्रयागराज को न्यूनतम दर में प्रकाशन कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
02. कार्यालय जिलाधिकारी/जिला पंचायत/नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. कम्प्यूटर प्रभारी को इस आशय से कि उक्त नोटिस पालिका की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

वर्ष (2026–27)

मोटर साईकिल व चार पहिया/टैम्पों/ई रिक्शा वाहन पार्किंग के नीलामी हेतु नियम व शर्तेः–

1. वाहन पार्किंग हेतु 0 से चार घंटे तक रू0 10.00 व चार घटें से अधिक वाहन खड़े होने पर रू0 15.00 प्रति मोटर साईकिल व 0 से चार घटें तक रू0 15.00 व चार घंटे से अधिक वाहन खड़े होने पर रू0 20.00 प्रति चार एवं तीन पहिया वाहन, टैम्पों/ई रिक्शा के लिये निर्धारित होगा।
2. उक्त ठेके की अवधि दिनांक 31.03.2028 तक के लिये होगी।
3. प्रत्येक बोली दाता को बोली में भाग लेने से पूर्व जमानत राशि के रूप में 10000.00 नगद के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के पक्ष में जमा करना होगा।
4. बोली दाता द्वारा अप्रत्याशित बोली नहीं बोली जायेगी।
5. उच्चतम बोली सतोषजनक होने पर उसे बोली टूटने के तत्काल बाद बोलीदाता को बोली की 1/2 धनराशि नगद के रूप में नगर पालिका परिषद् फतेहपुर के कोष में जमा करनी होगी।
6. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद् फतेहपुर में निहित होगा ।
7. ठेकेदार को धनराशि नीलामी तिथि से 15 दिनों के अन्दर पालिका कोष में जमा करना होगा।
8. ठेकेदार पर यह प्रतिबन्ध होगा की वह उग्र एवं अपराधी प्रवृत्ति के कर्मचारियो से वसूली नहीं करायेगा। वसूली करते समय नगर पालिका परिषद् फतेहपुर द्वारा निर्गत परिचय पत्र हमेशा अपने पास रखना अनिवार्य रहेगा।

09. उच्चतम बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्टाम्प अधिनियम के अनुसार अनुबन्ध करना होगा।
10. ठेकेदार द्वारा पार्किगं इस तरह से करायी जायेगी, जिससे यातायात/आवागमन बाधित न हों।
11. पार्किगं में किसी भी प्रकार वाद–विवाद का सम्पर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा वाद–विवाद मे कोई क्षति होती है। चाहे व राजकीय क्षति हो या सामाजिक क्षति का सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भी ठेकेदार का होगा।
12. नगर पालिका परिषद् फतेहपुर द्वारा जनहित/पालिका हित को ध्यान में रखते हुयें किसी भी समय उपरोक्त नियमों / शर्तों में परिवर्तन / परिवर्द्धन कर सकती है।
13. यदि किसी प्रकार की वाद–विवाद स्थिति उत्पन्न होती है, तो ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद् फतेहपुर में निहित होगा।
14. ठेके के अगले वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकृत किये जाने हेतु उच्चतम बोली की धनराशि का प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढोतरी के साथ देय होगा।
15. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में वाद का निस्तारण जनपद न्यायालय फतेहपुर मे ही होगा ।

कर अधीक्षक	**अधिशासी अधिकारी**	**अध्यक्ष**
नगर पालिका परिषद्	नगर पालिका परिषद्	नगर पालिका परिषद्
फतेहपुर।	फतेहपुर।	फतेहपुर।